



Janki Devi Bajaj Government Girls College, Kota



Self-Study Report Criterion 5

5.1.1 Number of students benefited by scholarships and freeships provided by the institution, Government and non-government bodies, industries, individuals, philanthropists during the last five years

S. no.	Content	Page no.
1.	Upload Sanction letter of scholarship and free ships (along with English translated version if it is in regional language).	1-28

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2017-18/682-
आदेश

दिनांक 21-11-17

मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि एवं विद्या/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजनांतर्गत वर्ष 2017-2018 हेतु जिले में स्थित महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/प्रमाणन उपरान्त आयुक्तालय को पात्र छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन-पत्र Forward किये जा के लिये निम्नलिखित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नियुक्त जिला नोडल अधिकारी महाविद्यालयों से प्राप्ता ऑनलाईन छात्राओं का आवेदन पत्र क्रमशः मेधावी, देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन हेतु जिले के समस्त राजकीय महाविद्यालय तथा विद्या/परित्यक्ता (बी.एड) हेतु जिले के राजकीय/निजी महाविद्यालय से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/प्रमाणन कर आयुक्तालय को ऑनलाईन फॉरवर्ड करेंगे।

मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी योजनांतर्गत स्कूटी स्वीकृति उपरान्त रजिस्ट्रेशन, बीमा, हस्तांतरण, वितरण इत्यादि का कार्य समय पर किया जाना सुनिश्चित करें -

क्र.सं	जिले का नाम	नोडल अधिकारी	फोन नं.
1	अजमेर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर	0145-2627645
2	अलवर	प्राचार्य, नौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर	0144-2700337
3	बांसवाड़ा	प्राचार्य, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962-244162
4	बांसवाड़ा	प्राचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बांसवाड़ा	07453-230421
5	बांसवाड़ा	प्राचार्य, एम. बी. सी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02962-230515
6	भरतपुर	प्राचार्य, राजकीय आर.डी. कन्या महाविद्यालय भरतपुर	05644-222774
7	भीलवाड़ा	प्राचार्य, से.मु.ना राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा	01482-251702
8	बीकानेर	प्राचार्य, महारानी सुदर्शना राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	0151-2528163
9	बून्दी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	0747-2445415
10	चित्तौड़गढ़	प्राचार्य, महारणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472-241041
11	धुल	प्राचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, धुल	01562-250382
12	दोसा	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, दोसा	01427-220615
13	धीलपुर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, धीलपुर	05642-224000
14	झुंझर	प्राचार्य, वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझर	02964-232263
15	हनुमानगढ़	प्राचार्य, राजकीय मेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़	01552-223183
16	कोटपूतली (जिला-जयपुर)	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली, जयपुर	01421-249112
17	जयपुर	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर जिला जयपुर	0141-2709093
18	जैसलमेर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, जैसलमेर	02992-250636
19	जालौर	प्राचार्य, एस. आर. एस. के.जे. राजकीय कन्या महाविद्यालय, जालौर	02973-225459
20	झालावाड़	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, झालावाड़	07432.232415
21	झुंझर	प्राचार्य, एस. एन. एम. टी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, झुंझर	01592-239131
22	जोधपुर	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर	0291-2571055
23	करौली	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली	07464-250023
24	कोटा	प्राचार्य, जे. डी. बी. राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	0744-2324074
25	नागौर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, नागौर	01582-242550
26	पाली	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पाली	02932-226452
27	प्रतापगढ़	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	01478-222012
28	राजसमन्द	प्राचार्य, एस. आर. के. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजसमन्द	02952-290140
29	सवाईमाधोपुर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर	07462-221124
30	सीकर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर	01572-242800
31	सिरोही	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सिरोही	02972-221275
32	श्रीगंगानगर	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	01542-2470293
33	टोंक	प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, टोंक	01432-254360
34	उदयपुर	प्राचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	0294-2524006

नोट- क्रम संख्या-16 पर अंकित राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटपूतली द्वारा जयपुर जिले की देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि का तथा क्रम संख्या-17 पर अंकित राजकीय महाविद्यालय, जयपुर द्वारा जयपुर जिले की मेधावी छात्रा स्कूटी एवं विद्या परित्यक्ता (बी.एड) संबल योजना का समस्त कार्य करेंगे।

(हाशुतोष ए.टी. पेडगेकर)

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

दिनांक-21-11-17

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2017-18/683, 684
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
- प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(एन.एल.शर्मा)
वित्तीय सहायक

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ23(34) लेखा/आकांशि/छात्रवृत्ति/2017-18/43

दिनांक 5/12/17

प्रेस विज्ञापित

विषय :- अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2017-18 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2017-18 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम छात्रवृत्ति	आवेदन पत्र आमंत्रण करने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	महाविद्यालय में	आयुक्तालय में संस्था प्रधान (महाविद्यालय
2.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	आवेदन पत्र	आवेदन पत्र मय साफ्टकोपी में
3.	उर्दू छात्रवृत्ति	दिनांक-20.12.2017	दिनांक-27.12.2017
4.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	सांय 5.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।	सांय 05.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।
5.	ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्ट्स/संगीत संस्थान)		
6.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति		
7.	मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृत्ति		
8.	राजनीतिक पीछितों/स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति		

उल्लेखित छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित नियमों / शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट <http://www.dce.rajasthan.gov.in> के Scholarship link पर उपलब्ध है। छात्र-छात्रा/महाविद्यालय/अभिभावक आवेदन फॉर्म विभागीय वेबसाईट पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित करार संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर करार संलग्न करें। भ्रामाशाह व आधार कार्ड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जावेगी जिसके लिए स्वयं विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा।

संस्था प्रधान सम्पूर्ण आवेदन फार्म की जाँच कर लेवें कि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है तथा अपूर्ण/मिथ्या सूचना नहीं दी गयी है। छात्र/छात्रा का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जायें तथा संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की पूर्तियां कर मय अभिशंषा सहित अपने हस्ताक्षर नय तिथि एवं सील लगाकर अग्रप्रेषित करें।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति फार्म उन्हीं विद्यार्थियों के अग्रप्रेषित किये जायें जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली हो तथा छात्र ने निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय में व्यक्तिगत जमा करावें। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोट-पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑन-लाईन अन्तरण किया जाना है। अतः उक्त छात्रवृत्तियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक-755 दिनांक-5-12-17 को अपलोड की गई एक्सल शीट में समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर साफ्टकोपी (सी.डी. में) अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों के साथ प्रेषित करें।

(आकांशि ए.टी. मेडनकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ23(34) लेखा/आर्कोशि/छात्रवृत्ति/2017-18/743

दिनांक 5/12/17

प्रेस विज्ञप्ति

विषय :- अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से सत्र 2017-18 हेतु छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में।

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा सत्र 2017-18 हेतु समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अराजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑफलाईन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	नाम छात्रवृत्ति	आवेदन पत्र आमंत्रण करने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	महाविद्यालय में आवेदन पत्र	आयुक्तालय में संस्था प्रधान (महाविद्यालय आवेदन पत्र मध्य साफ्टकॉपी में दिनांक-27.12.2017 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे।
2.	महिला योग्यता छात्रवृत्ति		
3.	उर्दू छात्रवृत्ति	दिनांक-20.12.2017	
4.	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	सायं 5.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे।	
5.	ललित कला छात्रवृत्ति (स्कूल ऑफ आर्ट्स/संगीत संस्थान)		
6.	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति		
7.	मिलीट्री देहरादून (भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून) छात्रवृत्ति		
8.	राजनैतिक पीछिलो/स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति		

उल्लेखित छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित नियमों / शर्तों की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट <http://www.dce.rajasthan.gov.in> के Scholarship link पर उपलब्ध है। छात्र-छात्रा/महाविद्यालय/अभिभावक आवेदन फॉर्म विभागीय वेबसाईट पर डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी जो छात्रावास में रहते हैं वे छात्रावास में प्रवेश का प्रमाण पत्र, मूल फीस रसीद, निवास करने की तिथि तथा छात्रावास वार्डन से प्रमाणित कराकर संस्था प्रधान से प्रति हस्ताक्षर कराकर संलग्न करें। भामाशाह व आधार कार्ड की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जावेगी जिसके लिए स्वयं विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा।

संस्था प्रधान सम्पूर्ण आवेदन फार्म की जाँच कर लेवें कि छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है तथा अपूर्ण/किम्ब्या सूचना नहीं दी गयी है। छात्र/छात्रा का फोटो तथा समस्त प्रमाण पत्रों का संस्था प्रधान द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को प्रमाणित किया जायें तथा संस्था से संबंधित समस्त कॉलम की पूर्तियों कर मय अभिशप्ता सहित अपने हस्ताक्षर मय तिथि एवं सील लगाकर अग्रेषित करें।

नवीनीकरण (Renewal) छात्रवृत्ति फार्म उन्हीं विद्यार्थियों के अग्रेषित किये जावें जिनको गत वर्ष छात्रवृत्ति मिली हो तथा छात्र ने निर्धारित अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

आवेदक विद्यार्थी तथा शिक्षण संस्था प्रधान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि तक आयुक्तालय में व्यक्तिशः जमा करावें। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोट-पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में ऑन-लाईन अन्तरण किया जाना है। अतः उक्त छात्रवृत्तियों संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक-755 दिनांक-5-12-17 को अपलोड की गई एक्सल शीट में समस्त कॉलम की पूर्ति करते हुए योजनावार डाटा तैयार कर साफ्टकॉपी (सी.डी. में) अनिवार्य रूप से आवेदन पत्रों के साथ प्रेषित करें।

(आशुतोष ए.टी. मेहताकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2017-18/773

दिनांक-13/12/17

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक—एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2017-18/682 दिनांक-21.11.17 द्वारा मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) संबल योजनान्तर्गत वर्ष 2017-2018 हेतु जयपुर जिले में स्थित महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/प्रमाणन उपरान्त आयुक्तालय को पात्र छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन-पत्र Forward किये जाने एवं स्कूटियों के रजिस्ट्रेशन, बीमा, हस्तान्तरण एवं वितरण हेतु प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसके स्थान पर प्राचार्य, आर.एल.सहरिया राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।



(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2017-18/774-776 दिनांक-13/12/17

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, जयपुर
2. प्राचार्य, आर.एल.सहरिया राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा
3. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।


(एन.एल.शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर


क्रमांक : एफ 23(46)/लेखा/आकाशि/विविध छा./2018-19/381

दिनांक : 8/9/18

संशोधन

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत देय लाभ के स्कूटी वितरण के बिन्दु संख्या-3(1) में अंकित 1000 (एक हजार) स्कूटी स्वीकृत कर निशुल्क वितरित की जावेंगी के स्थान पर "प्रतिवर्ष 1500 (एक हजार पांच सौ) स्कूटी स्वीकृत की जावेंगी एवं 1500 वीं छात्रा के प्राप्तांक के समान कट-ऑफ प्राप्तांक वाली सभी छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर निशुल्क वितरित की जावेंगी प्रतिस्थापित किया जाता है"।


यह स्वीकृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं राज्य सरकार (वित्त विभाग) की आई.डी. क्रमांक 161800782 दिनांक-05.07.2018 द्वारा जारी सहमति पर प्रदान की जाती है।


(आशुतोष ए.डी. पेडणेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(46)/लेखा/आकाशि/विविध छा./2018-19/382-388 दिनांक : 8/9/18

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान।
7. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।


(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर


क्रमांक एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.म.उ.शि./2017-18/847 दिनांक 29.12.17

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लाभन्वितों एवं व्यय संबंधी सूचना बाबत।


उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक लाभन्वित विद्यार्थियों की वर्गवार संख्या एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रारूप में तैयार कर दिनांक-03.01.2018 तक आवश्यक रूप से ई-मेल आई.डी sch.cce@rajasthan.gov.in पर भिजवायें।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अप्रैल 2017 से दिसम्बर 2017 तक लाभन्वित विद्यार्थियों की वर्गवार संख्या, व्यय की गई राशि का विवरण								
श्रेणी	SC	ST	OBC	SBC	MIN	GEN	Total	व्यय राशि
नूतन								
नवीनीकरण								
योग								


(एन.एल.शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.म.उ.शि./2017-18/848
प्रतिलिपि-प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

दिनांक 29.12.17


वित्तीय सलाहकार

अतिआवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन छात्रवृत्ति/2017-18/861 दिनांक 5-1-2018

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय राजस्थान जयपुर

विषय :- देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि/मेधावी छात्रा स्कूटी/विधवा परित्यक्तता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना में ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि/मेधावी छात्रा स्कूटी/विधवा परित्यक्तता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना में ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल अधिकारी को आयुक्तालय के आदेश क्रमांक: 700 दिनांक 28.11.2017 के क्रम में निर्धारित तिथि 20.12.2017 तक Forward करने थे तथा जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्तालय को निर्धारित तिथि 28.12.2017 तक Forward करने थे।

विभाग के पत्रांक 850 दिनांक 01.01.2018 द्वारा भी बकाया आवेदन पत्रों के आक्षेप पूर्ति व्यक्तिशः से करवाते हुए दिनांक 03.01.2018 को मध्याह्न: 2:00 बजे तक जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन Forward किये जाने थे। जिला नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच एवं अनुशंसा कर आयुक्तालय को Forward करने थे।

छात्रवृत्ति पोर्टल के अवलोकन पर पाया गया कि आदिनांक तक देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि/मेधावी छात्रा स्कूटी/विधवा परित्यक्तता मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति के अभाव में महाविद्यालयों में बकाया चल रहे हैं। समय पर आक्षेप पूर्ति के अभाव में आवेदित छात्राएँ स्कूटी/प्रोत्साहन राशि/शिक्षण शुल्क से वंचित हो सकती हैं।

अतः बकाया आवेदन पत्रों के आक्षेप पूर्ति व्यक्तिशः दिनांक 08.01.2018 तक करवाना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 09.01.2018 तक जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन Forward किया जाना सुनिश्चित करें। जिला नोडल अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों की तत्काल जांच कर उक्त तिथि को ही सायं 6:00 बजे तक आयुक्तालय के लिए ऑनलाईन Forward करें। यदि आक्षेप पूर्ति के अभाव या अन्य किसी कारण से किसी भी छात्रा का आवेदन पत्र कॉलेज एग्जिन में लम्बित रहता है, तो सम्बन्धित महाविद्यालय का उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित कार्मिक के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। निर्धारित तिथि 09.01.2018 परचात आयुक्तालय को ऑनलाईन Forward किये गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी/छात्रा/अनिभावक की होगी।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं
शासन सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन छात्रवृत्ति/2017-18/862 दिनांक 5-1-2018
प्रगारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।


वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/ 1258 दिनांक : 24-12-18
समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :- मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना वर्ष 2018-19 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की स्थाई वरीयता सूची।


संदर्भ :- विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक-364 दिनांक-12.7.2018, 541 दिनांक-23.7.2018 एवं 676 दिनांक-16.8.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्तियों द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी हेतु ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किये गये थे। विभाग को महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा से FORWARD होकर आयुक्तालय को प्राप्त हुए तदुपरान्त पत्रांक- 933 दिनांक-18.9.2018 से अस्थाई वरीयता सूची जारी कर दिनांक-20.9.2018 तक आपत्ति मांगी गई थी। अस्थाई सूची जारी करने एवं महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी स्तर पर कुछ आवेदन-पत्र लंबित होने से आयुक्तालय के पत्रांक-949 दिनांक-27.9.2018 से आवेदन-पत्र आयुक्तालय में मंगवाने बाबत दिनांक-28.9.2018 से 30.9.2018 तक पुनः पोर्टल खोला गया जिससे कुछ छात्राये सम्मिलत हुई। उसके बाद पत्रांक-979 दिनांक-03.10.2018 से पुनः अस्थाई वरीयता सूची जारी कर दिनांक-06.10.2018 तक आपत्ति मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात आवेदन पत्रों की स्थाई वरीयता सूची जारी की जा रही है। उक्त सूची में जिलेवार दर्शायी गई प्रथम 50 छात्राओं को ही स्कूटी वितरित की जानी है। जबकि वरीयता सूची जिले में पात्र समस्त छात्राओं को दर्शाया गया है। वरीयता सूची का अवलोकन विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर करावें।

छात्रा द्वारा माता-पिता/अभिभावक की आय, केन्द्रीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी/राजकीय उपक्रम/निगम बोर्ड कर्मचारी/वित्तपोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नम्बर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई, मेधावी छात्रा स्कूटी में कक्षा 9 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत के स्थान पर निजी विद्यालय में रहकर अध्ययन किया हो, राजस्थान की मूल निवासी नहीं होना, दोहरी छात्रवृत्ति प्राप्त करना अन्य कोई आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित कर स्कूटी प्राप्त की जाती है तथा स्कूटी स्वीकृति पश्चात् स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी भी माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

स्वीकृत स्कूटियों का जिला पूल के तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी से परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन, बीमा, हस्तान्तरण की कार्यवाही कर नियमित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक - 31 जनवरी 2019 तक सम्बन्धित छात्राओं को समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशानुसार वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- स्थाई वरीयता सूची।


(प्रदीप कुमार भोसले)

आयुष्य,

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/ 1259 दिनांक : 24-12-18
प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।


(एन.एल शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/1000 दिनांक : 15/10/
समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय :- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना वर्ष 2018-19

संदर्भ :- विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक-364 दिनांक-12.7.2018, 541 दिनांक-
23.7.2018 एवं 676 दिनांक-16.8.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्तियों द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी हेतु ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किये गये थे। विभाग को महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा से FORWARD होकर आयुक्तालय को प्राप्त हुए तदुपरान्त पत्रांक-931 दिनांक-18.9.2018 से अस्थाई वरीयता सूची जारी कर दिनांक-20.9.2018 तक आपत्ति मांगी गई थी। अस्थाई सूची जारी करने एवं महाविद्यालय/ जिला नोडल अधिकारी स्तर पर कुछ आवेदन-पत्र लम्बित होने से आयुक्तालय के पत्रांक-949 दिनांक-27.9.2018 से आवेदन-पत्र आयुक्तालय में मंगवाने बाबत दिनांक-28.9.2018 से 30.9.2018 तक पुनः पोर्टल खोला गया जिससे कुछ छात्राये सम्मिलित हुई तत्पश्चात् पत्रांक-981 दिनांक-03.10.2018 से पुनः अस्थायी वरीयता सूची जारी कर दिनांक-6.10.2018 तक आपत्ति मांगी गई थी।

निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित करने पर आचार संहिता लागू होने से स्थायी वरीयता सूची जारी नहीं की जा रही है। चुनाव सम्पन्न होने के बाद स्थायी वरीयता जारी की जावेगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 03.10.2018 से जारी अस्थायी वरीयता सूची अनुरूप मैसर्स टीवीएस मोटर्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई स्कूटी निर्धारित संख्या में प्राप्त कर महाविद्यालय में सुरक्षित रूप से रखा जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष ए.डी. पेडणेकर)
आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/1000 दिनांक : 15/10/18
प्रभारी, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2018-19/ 365

दिनांक- 12.7.18

आदेश

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से ऑनलाईन विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन पत्र भरने, शिक्षण महाविद्यालय को प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करने एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त पात्र आवेदन पत्रों पर अभिशांषा करने एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को संबंधित महाविद्यालयों/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (Forward) करने के लिये निम्नानुसार तिथियां प्रस्तावित की जाती है :-

क्र.स.	विषय वस्तु/ छात्रवृत्ति का नाम	निर्धारित तिथियां
1	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना - वर्ष 2018-19	क्र.सं. 1 से 3 तक दशायी गई छात्रवृत्तियों के नियम, शर्त इत्यादि विभागीय वेब- साईट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर जानकारी प्राप्त कर नीचे दी गई तिथि एवं दिशा निर्देश अनुरूप ऑनलाईन आवेदन करें।
2	देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना - वर्ष 2018-19	
3	देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि योजना - वर्ष 2018-19	
4	उक्त छात्रवृत्ति हेतु विरवविद्यालय/ महाविद्यालय का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेशन एवं उनके अधीन समस्त राजकीय महाविद्यालय का पंजीयन/पाठ्यक्रम सत्यापन अनुमोदन करने के लिये ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	13 जुलाई 2018 से प्रारम्भ
5	उपर्युक्त छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिये छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के लिये पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की अंतिम तिथि	23 जुलाई 2018
6	महाविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जांच कर पात्र आवेदन पत्र जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड करने की अंतिम तिथि	25 जुलाई 2018
7	मेधावी छात्रा स्कूटी योजना/ देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना- न्तर्गत में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की संबंधित जिला नोडल अधिकारी द्वारा जांच एवं आक्षेप पूर्ति उपरान्त बनाकर आयुक्तालय में ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि।	27 जुलाई 2018
8	आयुक्तालय द्वारा मेधावी छात्रा स्कूटी योजना/ देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त अस्माई सूची जारी करने की तिथि।	30 जुलाई 2018

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Scholarship/

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृत्ति/2019-20/347 दिनांक: 28-8-19


समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :- छात्रवृत्ति एवं स्कूटी योजनाओं के आवेदन-पत्रों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्रांक CCE/Acad/Calendar/2019/164-65 दिनांक 01.07.19


उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परित्राता, मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के अंतर्गत आयुक्तालय द्वारा मासिक कलैण्डर में आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि घोषित की गयी थी किंतु उपर्युक्त योजनाओं के बजट घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों में कुछ परिवर्तन हेतु प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण इन योजनाओं के आवेदन पत्र संदर्भित पत्र में दर्शायी गयी तिथि अनुरूप प्राप्त करने में विलम्ब होगा। उपर्युक्त योजनाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं दिशा निर्देश पृथक से शीघ्र ही जारी किये जावेंगे।

अतः आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी मासिक कलैण्डर सत्र 2019-20 में इन योजनाओं से सम्बन्धित जारी कार्यक्रम फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित माना जावे। नया कार्यक्रम शीघ्र ही विभागीय वेबसाइट पर आपको सूचित करते हुये अपलोड किया जावेगा।


(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन
सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृत्ति/2019-20/348 दिनांक: 28-8-19
प्रतिलिपि : प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।


(एन.एल. शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1-योजना :-

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रुपये तक है तथा जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति अथवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है के लिए 500 रुपये प्रतिमाह (5000 रुपये वार्षिक) एवं प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये बजट घोषणा 2019-20 में 1000/- रुपये प्रतिमाह (10,000/-वार्षिक) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की घोषणा की गई।

इस योजना का लक्ष्य निम्न को छात्रवृत्ति प्रदान करना है :-

- नवीन एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हों।
- ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरन्तर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं।

यह योजना अल्प आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है।

2-उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

3-योजना अन्तर्गत लाभ :-

- (अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/-रुपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात् अधिकतम 5000/-रुपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा।
- (ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।
- (स) दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रुपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रुपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा। इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रदीप कुमार शेर
अध्यक्ष

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृत्ति/2019-20/347 दिनांक: 28.8.19

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
राजस्थान।

विषय :- छात्रवृत्ति एवं स्कूटी योजनाओं के आवेदन-पत्रों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्रांक CCE/Acad/Calendar/2019/164-65 दिनांक 01.07.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा परितृप्ता, मुख्यमंत्री (बी.एड.) सम्बल योजना के अंतर्गत आयुक्तालय द्वारा मासिक कलैण्डर में आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि घोषित की गयी थी किंतु उपर्युक्त योजनाओं के बजट घोषणाओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में प्रचलित प्रावधानों में कुछ परिवर्तन हेतु प्रक्रिया विचाराधीन होने के कारण इन योजनाओं के आवेदन पत्र संदर्भित पत्र में दर्शायी गयी तिथि अनुरूप प्राप्त करने में विलम्ब होगा। उपर्युक्त योजनाओं के आवेदन पत्र आमंत्रित करने एवं दिशा निर्देश पृथक से शीघ्र ही जारी किये जावेंगे।

अतः आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी मासिक कलैण्डर सत्र 2019-20 में इन योजनाओं से सम्बन्धित जारी कार्यक्रम फिलहाल अग्रिम आदेशों तक स्थगित माना जावे। नया कार्यक्रम शीघ्र ही विभागीय वेबसाइट पर आपको सूचित करते हुये अपलोड किया जावेगा।




(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन
सचिव उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृत्ति/2019-20/348 दिनांक: 28.8.19

प्रतिलिपि : प्रभारी वेबसाइट को अपलोड करने हेतु।



(एन.एल. शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019-20/571 दिनांक : 07/11/19


समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्त पोषित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्रों को विद्यार्थियों द्वारा भरने एवं जांच आदि की कार्यवाही बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ 23(16)लेखा/आकाशि/छा.स्कू.यो./2019-20/504 दिनांक-16.10.19 द्वारा 21.10.19 से 20.11.19 तक आमंत्रित किये गये थे।


राज्य में चल रही विभिन्न स्कूटी योजनाओं को इकजाई कर "कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना" की राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषणा की गई। जिसके क्रम में वित्त विभाग से अनुमोदित संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग की अ.शा. टीप पत्रांक प.3 (10) वित्त/व्यय-1/2019 दिनांक-18.10.19 के संदर्भ में शासन उपसचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक प.1(4) शिक्षा-1/2019 दिनांक-23.10.19 के द्वारा उक्त योजना के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसमें निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को नोडल विभाग बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कॉमन पोर्टल विकसित करवाया जावेगा। तदोपरान्त ही आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावेगे।

उक्त क्रम में मेधावी छात्रा स्कूटी, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2019-20 हेतु ऑनलाइन आवेदन को विद्यार्थियों द्वारा भरने एवं जांच आदि की कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से बंद की जाती है।


(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(16)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.योजना/ऑनलाइन/2019-20/572 दिनांक : 07/11/19
प्रतिलिपि-प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।


(राजकुमार मीना)
वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाइन/2020-21/ 2217

दिनांक- 22/01/21

समस्त प्राचार्य/रजिस्ट्रार

विश्वविद्यालय, राजकीय/निजी महाविद्यालय

राजस्थान

विषय :- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन के क्रम में।

संदर्भ :- विज्ञापित क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाइन/2020-21/
1991 दिनांक-28.10.2020, 2150 दिनांक-30.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रांक द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके ऑनलाइन आवेदन करने की दिनांक- 29.10.2020 से प्रारंभ कर अंतिम तिथि 31.01.2021 रखी गई है। आदिनांक तक विद्यार्थियों द्वारा कम संख्या में ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं।

अतः आपके महाविद्यालय में सम्बन्धित विद्यार्थियों को उक्त योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु दूरभाष द्वारा, Whatsapp Group एवं नोटिस बोर्ड पर सूचना के माध्यम से सूचित करावें, जिससे उक्त योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकें।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाइन/2020-21/ 2218
प्रतिलिपि - प्रभाषी वेबसाइट को अपलोड हेतु

दिनांक- 22/01/21

(एच.आर.पवार)

वित्तीय सलहकार

आदेश
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनावर्षा 2020-2021 हेतु निम्नलिखित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को उनके जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान हेतु जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	जिले का नाम	नोडल अधिकारी	जिला
1	अजमेर	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	0145-2460946
2	अलवर	प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, अलवर	0144-2732336
3	बांसवाड़ा	प्राचार्य, श्री गोविन्द गुरु राजकीय महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02982-254022
4	बांस	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बांस	07453-230071
5	बाड़मेर	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बाड़मेर	02982-220034
6	भरतपुर	प्राचार्य, राजकीय एमएसजे कॉलेज, भरतपुर	05644-223641
7	भीलवाड़ा	प्राचार्य, श्री माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा	01482-239970
8	बीकानेर	प्राचार्य, राजकीय जूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	0151-2528036
9	बून्दी	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	0747-2445415
10	चित्तौड़गढ़	प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़	01472-241041
11	धूलू	प्राचार्य, राजकीय लोहिया महाविद्यालय, धूलू	01562-250362
12	दीपा	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दीपा	01427-223111
13	धौलपुर	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धौलपुर	05642-220868
14	डूंगरपुर	प्राचार्य, राजकीय एस.बी.पी. महाविद्यालय, डूंगरपुर	02964-232523
15	राजसमन्द	प्राचार्य, सोठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय, राजसमन्द	02952-221840
16	हनुमानगढ़	प्राचार्य, राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़	01552-223163
17	जयपुर	प्राचार्य, आर. एल. सहरिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कालाडेर, जयपुर	01423-265828
18	जैसलमेर	प्राचार्य, एस.बी.के. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर	02992-252350
19	जालौर	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जालौर	02973-223141
20	झालावाड़	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झालावाड़	07432-232315
21	झुंझुनू	प्राचार्य, श्री राधेश्याम आर. मोरारका राजकीय महाविद्यालय, झुंझुनू	01592-239944
22	जोधपुर	प्राचार्य, श्रीमती सीता देवी चुन्नीलाल बरडिया राजकीय कन्या महाविद्यालय, पीपाड सिटी (जोधपुर)	02930-234600
23	करौली	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, करौली	07464-250023
24	कोटा	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, कोटा	0744-2322006
25	नागौर	प्राचार्य, श्री बी.आर. मिर्जा राजकीय महाविद्यालय, नागौर	01582-240853
26	पाली	प्राचार्य, राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली	02932-226452
27	प्रतापगढ़	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, प्रतापगढ़	01478-222012
28	सवाईमाधोपुर	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सवाई माधोपुर	07462-220307
29	सीकर	प्राचार्य, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय, सीकर	01572-297020
30	सिरोही	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, सिरोही	02972-221684
31	श्रीगंगानगर	प्राचार्य, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	0154-2440056
32	टीक	प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीक	01432-247432
33	उदयपुर	प्राचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर	0294-2524006

उपर्युक्त जिला नोडल अधिकारी जिले में स्थित राजकीय/निजी/तकनीकी महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन उपरान्त संबंधित महाविद्यालय से Forward होकर प्राप्ति पर प्रमाणन (Verify) कर आयुक्तालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशानुसार/नियमानुसार छात्रवृत्ति स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर)
10/11/2020
(सदर नियुक्ति)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर
दिनांक- 11/11/2020

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.ला.छा./2020-21/2061-2062
प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. समस्त प्राचार्य, राजकीय/गैर/तकनीकी महाविद्यालय, राजस्थान।
2. प्रमारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(हस्ताक्षर)
(एच.आर. विवर)
वित्तीय सहायक

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एच 23(56)/लेखा/अकादि/छा स्कु योजना/ऑनलाइन/2019-20/1505 दिनांक 24/08/20

समस्त प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- देवनागरण छात्रा स्कुटी वितरण योजना वर्ष 2019-20 के लिए स्कुटी हेतु
आवेदन करने वाली छात्राओं की अस्थायी वरीयता सूची।

सन्दर्भ :- विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापित क्रमांक-504 दिनांक-16.10.2019, 869
दिनांक-20.01.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञापितों द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु देवनागरण छात्रा स्कुटी वितरण योजना में स्कुटी हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन अपेक्षित किये गये थे। विभाग को महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुमति से FORWARD होकर निदेशालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की अस्थायी वरीयता सूची विभाग के पत्रांक-एच 23(16)/लेखा/अकादि/छा स्कु योजना/ऑनलाइन/2019-20/1352-1353 दिनांक-22.05.2020 द्वारा जारी की गई थी। परन्तु कुछ आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ण में विद्यार्थियों के स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर एवं जिला नोडल महाविद्यालय स्तर पर धकता रहने से विभाग के पत्रांक-1327 दिनांक-13.07.2020 के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर से पोर्टल खुलवाया गया एवं विभाग के पत्रांक 1328-1329 दिनांक-13.07.2020 द्वारा महाविद्यालयों को सूचित किया गया था। पुनः महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुमति से FORWARD होकर निदेशालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की अस्थायी वरीयता सूची जारी की जा रही है। विस्तृत अवलोकन विभागीय वेबसाईट <http://hris.rajasthan.gov.in/> पर कराये।

अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का विवरण यथा नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, प्रस्तावक प्रतिशत आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि तथा दोहरा नाम अंकित हो गया हो, के संबंध में विभागीय वेबसाईट फा अवलोकन कर सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक/प्राचार्य या अन्य को यदि आपत्ति है, तो वो दिनांक-07 सितम्बर 2020 सांय 5:00 बजे तक लिखित में सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत कराये। सम्बन्धित महाविद्यालय एवं जिला नोडल अधिकारी निदेशालय की ई.मेल, आई.डी. seh.cce@rajasthan.gov.in के माध्यम से पूर्ण विवरण अंकित कर दिनांक -09 सितम्बर 2020 को सांय 5:00 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि पर्याप्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

छात्रा द्वारा माता-पिता/अभिभावक की आय, नौभतीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी/राजकीय उपक्रम/निगम बोर्ड कर्मचारी/निराश्रित संस्था का कर्मचारी विनाके द्वारा फॉर्म नम्बर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई, राजस्थान की गूल निवासी नहीं होना, दोहरी छात्रवृत्ति प्राप्त करना अन्य कोई आवेदन पत्र में अस्तव्य जानकारी अंकित कर स्कुटी प्राप्त की जाती है तथा स्कुटी स्वीकृति पर प्राप्त स्वीकृताकर्ता अधिकारी को किसी भी माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अगल में लाई जायेगी।

यदि अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा गया है/छात्र की निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं है/किसी कारणों से छात्रा का नाम महाविद्यालय से पृथक कर दिया गया है/छात्रा द्वारा अन्य छात्रवृत्ति/योजना में दोहरा नाम लिया जा रहा है तो ऐसी छात्राओं की सूची संबंधित प्राचार्य दिनांक - 09 सितम्बर 2020 सांय 5:00 बजे तक उक्त ईमेल आईडी पर निदेशालय को प्रस्तुत करें। उपरोक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों को निराकरण परन्तु फात्र छात्राओं को स्कुटी स्वीकृति की सूची जारी कर दी जायेगी। निर्धारित तिथि पर्याप्त प्राप्त आनतिथी पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न- अस्थायी वरीयता सूची।

(संदेश नम्बर, आई.ए.एस)
निदेशक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
दिनांक 24/08/20

क्रमांक : एच 23(56)/लेखा/अकादि/छा स्कु योजना/ऑनलाइन/2019-20/1506
प्रतिनिधि-प्राचार्य, वेबसाईट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

(एच.आर.ऑफर)
प्रतीय रत्नाहवार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 2452

दिनांक : 26/02/2021

छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन

राजस्थान स्थित राजकीय/ निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं से निम्नलिखित योजना में विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिनकी तिथि में निम्नानुसार अभिवृद्धि की जाती है-

क्र.स.	छात्रवृत्ति का नाम	वर्ष	पोर्टल प्रारम्भ तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2020-21	29.10.2020	15.03.2021

योजना से संबंधित नियम, दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा-निर्देश, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें।

जिन विद्यार्थियों को उनके महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे है। वे अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया हैं। वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी।

(संदेश नायक)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 23 (80)(3) सेवा / आवासि / ऑनलाईन / छात्रवृत्ति / 2020-21 / 68

दिनांक : 20/4/2022

रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय/राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :-कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना (12वीं उत्तीर्ण) वर्ष 2020-21 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली छात्राओं की अस्थायी वरीयता सूची।

संदर्भ :-विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञापित क्रमांक-2454 दिनांक-26.02.2021, 2542 दिनांक 31.03.2021 358 दिनांक-13.08.2021, 389 दिनांक-31.08.2021 एवं 573 दिनांक-30.09.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञापियों द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी (12वीं उत्तीर्ण) हेतु ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किये गये थे। महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुरांसा से FORWARD होकर संबंधित मुख्यालय यथा उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति (SC) वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग), माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा (EBC) वर्ग) तथा अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग (अल्पसंख्यक वर्ग) को प्राप्त आवेदन पत्रों की अस्थायी वरीयता सूची जारी की जा रही है। जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट <https://hte.rajasthan.gov.in/> पर करावें।

अस्थायी वरीयता सूची में उल्लेखित छात्राओं का विवरण यथा नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, प्राप्तांक प्रतिशत, संकाय, वर्ग, महाविद्यालय का नाम, विशेष योग्यजन वर्ग, आय आदि में किसी भी प्रकार की त्रुटि तथा दोहरा नाम अंकित हो गया हो, के संबंध में यदि किसी व्यक्ति (प्राचार्य, छात्रा, अभिभावक, संबंधित विभाग या अन्य) को आपत्ति है, तो वो दिनांक-26.04.2022 तक लिखित में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को अवगत करावें। सम्बन्धित महाविद्यालय एवं जिला नोडल अधिकारी आयुक्तालय की ई.मेल, आई.डी. sch.cce@rajasthan.gov.in के माध्यम से पूर्ण विवरण अंकित कर दिनांक-27.04.2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उक्त तिथि परचात् प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है यथा माता-पिता/अभिभावक की आय, केन्द्रीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी/राजकीय उपक्रम/निगम बोर्ड कर्मचारी/वित्तपोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नम्बर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई है तथा स्कूटी स्वीकृति परचात् स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी भी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राई-साईकिल मॉग करने पर प्राथमिकता से प्रदान की जावेगी।

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.रक्.ऑनलाईन/2020-21/1200

दिनांक- 4/2/2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,

राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,

वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,

राजस्थान।

विषय- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना बाबत।

संदर्भ- विभाग का आदेश क्रमांक - 600 दिनांक-6.10.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाना था, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक भी जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है :-

महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु	दिनांक-5.2.2022 से 16.2.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच किये जाने हेतु	दिनांक-5.2.2022 से 28.2.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी। संबंधित जिले के नोडल महाविद्यालयों को अपने अधीन आने वाले महाविद्यालयों से दूरभाष पर सम्पर्क कर बकाया आवेदन फॉरवर्ड करवाना सुनिश्चित करावें। आक्षेपपूर्ति एवं फारवर्ड करने हेतु यह अंतिम अवसर है। अतः पालना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् आक्षेपित रहे आवेदन निरस्त समझे जायेंगे।


(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.रक्.ऑनलाईन/2020-21/1201
प्रतिलिपि-प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

दिनांक- 4/2/2022


वित्तीय सलाहकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Scholarship/

आदेश

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कुटी योजना (12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु), देवनारायण छात्रा स्कुटी एवं प्रोत्साहन राशि और विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनावर्तगत वर्ष 2021-22 हेतु जिले में स्थित विश्वविद्यालय/राजकीय/निजी महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/प्रमाणन उपरान्त आयुक्तालय को प्राप्त छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन-पत्र Forward किये जाने के लिये निम्नलिखित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालयों को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

नियुक्त जिला नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों से प्राप्त ऑनलाईन स्कुटी आवेदन पत्र क्रमशः कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कुटी, देवनारायण छात्रा स्कुटी एवं प्रोत्साहन राशि एवं विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजनावर्तगत हेतु जिलों के समस्त राजकीय महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच/प्रमाणन कर आयुक्तालय को ऑनलाईन फारवर्ड करेंगे।

क्र.सं.	जिले का नाम	नोडल अधिकारी	फोन नं.
1	अजमेर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, अजमेर	0145-2621645
2	अलवर	डायरी, सीटी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, अलवर	0144-2700337
3	बांसवाड़ा	डायरी, इंदिरा गांधी राजकीय कृषि महाविद्यालय, बांसवाड़ा	02952-244162
4	बांस	डायरी, राजकीय कृषि स्वतंत्रताक्षेत्र महाविद्यालय, बांस	07453-230421
5	बाड़मेर	डायरी, एम.बी.सी. राजकीय कृषि महाविद्यालय, बाड़मेर	02903-230515
6	भारतपुर	डायरी, राजकीय आर.डी. कृषि महाविद्यालय, भारतपुर	05644-222774
7	भारतखण्ड	डायरी, से.मु.रा. राजकीय स्वतंत्रताक्षेत्र कृषि महाविद्यालय, भारतखण्ड	01462-251702
8	बीकानेर	डायरी, महारानी सुदर्नी राजकीय कृषि महाविद्यालय, बीकानेर	0151-2526163
9	बूंदी	डायरी, राजकीय महाविद्यालय, बूंदी	0747-2445415
10	चिल्लाइनद	डायरी, महारानी सुदर्नी राजकीय स्वतंत्रताक्षेत्र महाविद्यालय, चिल्लाइनद	01472-241041
11	चुरू	डायरी, राजकीय इंद्रिणी महाविद्यालय, चुरू	01562-260362
12	दाड़ा	डायरी राजकीय कृषि महाविद्यालय, दाड़ा	01427-220515
13	दौलपुर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, दौलपुर	05642-224000
14	दुंगरपुर	डायरी, वीर बालू स्वतंत्रताक्षेत्र राजकीय कृषि महाविद्यालय, दुंगरपुर	02904-232263
15	झुनझुनद	डायरी, राजकीय वैदिक वैश्वविद्यालय महाविद्यालय, झुनझुनद	01552-223163
16	कोटपुतली (जिला-जयपुर)	डायरी, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली, जयपुर	01421-248006
17	जयपुर	डायरी, आर.एन. सहरीय राजकीय महाविद्यालय, लालबाग, जिला-जयपुर	01423-295628
18	जैलमेर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, जैलमेर	02992-230636
19	जालौर	डायरी, एम.अर.एस. राजकीय कृषि महाविद्यालय, जालौर	02973-225499
20	झालवाड़	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, झालवाड़	07432.232415
21	झुंझु	डायरी, एम.ए.ए. राजकीय कृषि महाविद्यालय, झुंझु	01562-238121
22	जोधपुर	डायरी, राजकीय महाविद्यालय, जोधपुर	0291-2521555
23	जयसिंग	डायरी, राजकीय महाविद्यालय, जयसिंग	07464-250023
24	कोटा	डायरी, जे.डी. राजकीय कृषि महाविद्यालय, कोटा	0744-2324574
25	नारौर	डायरी, श्री बलदेवजी महाराज राजकीय महाविद्यालय, नारौर	01582.2340803
26	पाटी	डायरी, राजकीय स्वतंत्रताक्षेत्र महाविद्यालय, पाटी	02952-228452
27	प्रहमण्ड	डायरी, राजकीय महाविद्यालय, प्रहमण्ड	01478-222012
28	राजसमन्ध	डायरी, एम.आर. राजकीय स्वतंत्रताक्षेत्र महाविद्यालय, राजसमन्ध	02952-260140
29	सवाईमधुपुर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, सवाईमधुपुर	07462-221124
30	सीकर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, सीकर	01572-242600
31	सिरोही	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, सिरोही	02972-221275
32	श्रीगंगानगर	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	01542-2470293
33	टीक	डायरी, राजकीय कृषि महाविद्यालय, टीक	01432-254360
34	उदयपुर	डायरी, राजकीय वीर कृषि महाविद्यालय, उदयपुर	0294-2524008

नोट- 1. क्रम संख्या-16 पर अंकित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली द्वारा जयपुर जिले की देवनारायण छात्रा स्कुटी एवं प्रोत्साहन राशि का तथा क्रम संख्या-17 पर अंकित आर.एन. सहरीय राजकीय महाविद्यालय, कालाडेरा द्वारा जयपुर जिले की कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कुटी योजना एवं विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का जिला नोडल कार्य सम्पादित करेंगे।

(हरिसिंह मेना)
विलीय सहायकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(80) लेखा/आकाशि/आ.स्कू.को. ऑनलाइन/2021-22/1090-1096 दिनांक-18/01/2022
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय राजस्थान
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर
6. समस्त प्राचार्य, राजकीय / निजी महाविद्यालय, राजस्थान
7. प्रवर्तनी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(हरिसिंह मेना)
विलीय सहायकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर


क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा./2021-22/ 861

दिनांक- 08/12/2021

परिपत्र

जन घोषणा विन्दु संख्या 22.1 की क्रियान्विति हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से अल्पसंख्यक वर्ग की 12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 500/- रुपये मासिक (5000/- वार्षिक) की अतिरिक्त सहायता वर्ष 2019-20 से निरन्तर उन छात्राओं को ही दी जावेगी जोकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102000453 द्वारा अनुमोदित है।


(शशि न्यायम)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छा./2021-22/ 862-867

दिनांक- 08/12/2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्विद्यालय/निजी विश्विद्यालय राजस्थान
6. प्रमारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।



(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छ./2021-22/ 861

दिनांक- 08/12/2021

परिपत्र

जन घोषणा विन्दु संख्या 22.1 की क्रियान्विति हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना से अल्पसंख्यक वर्ग की 12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को 500/- रुपये मासिक (5000/- वार्षिक) की अतिरिक्त सहायता वर्ष 2019-20 से निरन्तर उन छात्राओं को ही दी जावेगी जोकि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र है।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102000453 द्वारा अनुमोदित है।


(श्री. न्यामि)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 23(45)लेखा/आकाशि/मु.उ.शि.छ./2021-22/ 862-867

दिनांक- 08/12/2021

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव उच्च शिक्षा शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक अल्पसंख्यक मामलात विभाग राजस्थान, जयपुर
5. समस्त प्राचार्य राजकीय/निजी महाविद्यालय/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय राजस्थान
6. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।



(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021-22/767 दिनांक- 18.11.2021

समस्त प्राचार्य

राजकीय/निजी महाविद्यालय,

राजस्थान

विषय :- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटी के वर्ष 2020-21 के आवेदनों की जाँच एवं फॉरवर्ड (अग्रेषित) बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत (उच्च शिक्षा स्कूटी, अनुसूचित जाति स्कूटी, अल्पसंख्यक स्कूटी, जनजाति छात्राओं की 12वीं उत्तीर्ण की स्कूटी के आवेदनों एवं जनजाति छात्राओं की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं की स्कूटी के वर्ष 2020-21 के आवेदनों की जाँच कर संबंधित को फॉरवर्ड (अग्रेषित) किये जाने की कार्यवाही करावें।

अतः उक्त योजना के आवेदनों की जाँच 15 दिवस में करावें। इसके बाद पोर्टल बन्द की तिथियाँ निर्धारित कर दी जावेंगी।



(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021-22/768-772 दिनांक- 18.11.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
4. निजी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।



वित्तीय सलाहकार

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Scholarship/

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(1)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 600

दिनांक- 06-10-2021

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित विश्वविद्यालय,
वित्तपोषित महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,
राजस्थान।

विषय- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना बाबत।

संदर्भ- विभाग का आदेश क्रमांक - एफ 23(80)(1) लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन/2020-21
/2348-2373 दिनांक-23.03.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 के विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड किया जाना था, किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अभी तक भी जिला नोडल अधिकारी को फॉरवर्ड नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तिथियों के अनुसार पोर्टल बंद किया जा रहा है :-

विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु	दिनांक-23.10.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु	दिनांक-25.10.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जांच किये जाने हेतु	दिनांक-02.11.2021 को रात्रि 12.00 बजे तक

यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी। महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे विद्यार्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क कर छात्रों से समयानुसार आक्षेपपूर्ति सुनिश्चित करावें। संबंधित जिले के नोडल महाविद्यालयों को अपने अधीन आने वाले महाविद्यालयों से दूरभाष पर सम्पर्क कर बकाया आवेदन फॉरवर्ड करवाना सुनिश्चित करावें। आक्षेपपूर्ति एवं फारवर्ड करने हेतु यह अंतिम अवसर है। अतः पालना सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक, आई.ए.एस.)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक- 06-10-2021

क्रमांक: एफ 23(80)(1)/लेखा/निकाशि/छा.ऑनलाईन/2020-21/ 601
प्रतिलिपि:-प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2020-21/1195
समस्त रजिस्ट्रार, प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/ निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय, राजस्थान

दिनांक-04.02.2022

विषय- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वर्ष 2020-21 बाबत।

संदर्भ- विभाग का आदेश संख्या क्रमांक-एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा. ऑनलाईन
/2020-21/987 दिनांक-7.1.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 की छात्राओं से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त नोडल महाविद्यालयों को फारवर्ड की अंतिम तिथि 13.1.2022 एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच किये जाने हेतु अंतिम तिथि 17.1.2021 रखी गई थी किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल महाविद्यालयों को अंतिम तिथि तक फारवर्ड नहीं किया गया एवं जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा अंतिम तिथि तक संबंधित मुख्यालयों को फारवर्ड नहीं किया गया। छात्राओं के हित को मध्यनजर रखते हुए उक्त योजना का पोर्टल खोला जा रहा है :-

क्र.सं	स्कूटी योजना का नाम
	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
1.	उच्च शिक्षा विभाग 12वीं उत्तीर्ण (सभी वर्गों की छात्राओं हेतु)
2.	अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
3.	सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग)
4.	अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्पसंख्यक मामलातु विभाग)
5.	अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग)

उक्त योजना के आवेदनों की जाँच हेतु निम्न तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है-

महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त नोडल महाविद्यालय को आवेदन ऑनलाईन फॉरवर्ड हेतु	दिनांक-5.2.2022 से 8.2.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
नोडल महाविद्यालयों द्वारा जाँच उपरान्त संबंधित मुख्यालय को आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक-5.2.2022 से 11.2.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग) निम्न तिथियों के अनुसार पोर्टल खोला जा रहा है-

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जाँच उपरान्त संबंधित मुख्यालय (टीएडी) को ऑनलाईन आवेदन फॉरवर्ड किये जाने हेतु	दिनांक-5.2.2022 से 11.2.2022 को रात्रि 12.00 बजे तक
---	---

यदि किसी भी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर करती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी। संबंधित जिले के नोडल महाविद्यालयों को अपने अधीन आने वाले महाविद्यालयों से दूरभाष पर सम्पर्क कर बकाया आवेदन फॉरवर्ड करवाना सुनिश्चित करावें। आक्षेपपूर्ति एवं फारवर्ड करने हेतु यह अंतिम अवसर है। अतः पालना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् आक्षेपित रहे आवेदन निरस्त समझे जायेंगे।


(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

दिनांक-04.02.2022


वित्तीय सलाहकार

क्रमांक-एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2020-21/1196
प्रतिलिपि:-प्रभारी वेबसाइट को अपलोड हेतु।

D:/ Shortcut For Some Folders/ Online Scholarship/

यदि अस्थाई वरीयता सूची में उल्लेखित छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भरा गया है/ छात्रा की निर्धारित उपस्थिति पूरी नहीं है/ किन्हीं कारणों से छात्रा का नाम महाविद्यालय से पृथक कर दिया गया है, तो ऐसी छात्राओं की सूची संबंधित प्राध्यापक दिनांक-27.04.2022 तक उक्त ईमेल आईडी पर आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि तक प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पर्याप्त छात्राओं को रकूटी रवीकृति की सूची जारी कर दी जायेगी। निर्धारित तिथि पर्याप्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्न:-

1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग) की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची। (परिशिष्ट-अ)
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति (SC) वर्ग) की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची। (परिशिष्ट-ब)
3. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग) की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची। (परिशिष्ट-स)
4. माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा (EBC) वर्ग) की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची। (परिशिष्ट-द)
5. अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग (अल्पसंख्यक वर्ग) की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची की छात्राओं की अस्थाई वरीयता सूची। (परिशिष्ट-य)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एक 23 (80) (5) लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रकृति/2020-21/69-73

दिनांक : 20/4/2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सहायक

कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर